राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- caodlb@gmail.com Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(च)( )लेखा/ डीएलबी/ABDEAS/ टेण्डर/2017–18/24845 to 24851 दिनांक 23-01-2018

उप निदेशक (क्षेत्रीय)
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान।

विषयः– नगरीय निकायो को वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 हेतु उपार्जन आधारित दौहरा लेखा पद्धति से लेखो के संधारण एवं अंकेक्षण हेतु सम्भागवार सीए फर्मो के आवंटन बाबत।

नगरीय निकायो को वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 हेतु उपार्जन आधारित दौहरा लेखा पद्धति से लेखो के संधारण एवं अंकेक्षण हेतु सम्भागवार सीए फर्मो को निदेशालय आदेश क्रमांक 24591 दिनांक 23-01-18 द्वारा सूचीबद्ध किया जा चुका है एवं न्यूनतम दरदाता फर्म सहित सूचीबद्ध सीए फर्मो की सूची संबंधित पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त को निकायो में वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 हेतु सम्भागवार लेखांकन एवं अंकेक्षण कार्य का वर्तमान स्टेटस प्राप्त करते हुये निकायों को सूचीबद्ध सीए फर्मो के आवंटन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है।

01. उप निदेशक (क्षैत्रीय) द्वारा अपने संभाग की निकायों को सीए फर्मो का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि संबंधित सम्भाग की न्यूनतम दरदाता फर्म (L-1) को प्राथमिकता के आधार पर कार्य अवश्य आवंटित हो।
02. समस्त उप निदेशक (क्षैत्रीय), नगरीय निकायों को सीए फर्म का आवंटन किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगे की संभाग की किसी भी निकाय में लेखांकन कार्य हेतु आवंटित सीए फर्म एवं अंकेक्षण कार्य हेतु आवंटित सीए फर्म समान नहीं होनी चाहिये अर्थात काई भी सीए फर्म किसी निकाय के लेखांकन एवं अंकेक्षण दोनों कार्य सम्पादित नहीं करेगे।
03. उप निदेशक (क्षैत्रीय) अपने संभाग में सीए फर्मो को आवंटित निकायों की सूची अविलम्ब निदेशालय में प्रेषित करेगे।
04. निकायों द्वारा उनको आवंटित सीए फर्मो को जारी वर्क ऑडर की प्रति, उप निदेशक (क्षैत्रीय) एवं निदेशालय में प्रषित की जायेगी।
05. अपने संभाग की निकायों को सीए फर्मो का आवंटन पश्चात उप निदेशक (क्षैत्रीय) द्वारा निरन्तर रूप से मोनेटिरिंग की जावेगी एवं इस हेतु प्रगति रिपोर्ट उप निदेशक (क्षैत्रीय) द्वारा निदेशालय में प्रेषित की जावेगी।
06. निकायो में उर्पाजन आधारित दौहरा लेखा पद्धति से लेखों के संधारण एवं अंकेक्षण कार्य के भुगतान के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सीए फर्मो द्वारा जिन निकायो में उपरोक्त लेखांकन एवं अंकेक्षण कार्य किया जाना है वहां पर संबंधित वर्ष के लेखांकन एवं अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् संबंधित सीए फर्म को निकाय द्वारा अविलम्ब भुगतान करवाते हुये निदेशालय को सूचित किया जायेगा।
07. नगर निगम (भरतपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर) के सन्दर्भ में L 1 फर्म लेखांकन एवं अंकेक्षण दोनों कार्य हेतु न्यूनतम दरदाता फर्म है। ऐसी स्थिति में भी एक ही फर्म को लेखांकन एवं अकंक्षण का कार्य आवंटित किया जाना सम्भव नहीं होगा। इस संबंध में निगमवार L 1 एवं L 2 की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। L 1 सीए फर्म से लेंखांकन एवं अंकेक्षण कार्य में से एक कार्य करने की सहमति प्राप्त करते हुये शेष कार्य L 1 की दरों पर L 2 को उनकी सहमति प्राप्त करते हुये आवंटित किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

08. उप निदेशक (क्षेत्रीय)/नगरीय निकाय/सीए फर्म द्वारा नगरीय निकायो को वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 हेतु उपार्जन आधारित दौहरा लेखा पद्धति से लेखो के संधारण एवं अंकेक्षण हेतु किसी भी प्रकार के समस्या या संदेह की स्थिति में निदेशालय में स्थित Municipal Finance Reform Cell (MFRC) प्रकोष्ठ में कार्यरत निम्न व्यक्तियों से दूरभाष नम्बर 0141–2226705 पर सम्पर्क या mfrc.rajasthan@gmail.com पर ई–मेल कर सकते है:–

- श्री कमलदीप शर्मा
- श्री मनीष जैन

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(च)( )लेखा/ डीएलबी/ABDEAS/ टेण्डर/2017–18/ 24852 to 25058 दिनांक 23-01-2018

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्थानिय निकाय विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, स्थानिय निकाय विभाग राज0 जयपुर।
05. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त)।
06. Municipal Finance Reform Cell (MFRC) प्रकोष्ठ।
07. प्रभारी अधिकारी, स्मार्टराज एवं सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड़ करने हेतु।
08. निजी पत्रावली।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

\\dlboffice\DLB_N\Kamal Ji sir\Letter.doc

Scanned by CamScanner